Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Revenue Appeal Case No.-119/2024]
Md. Jawadul.....Appellants.
Versus
Hasebul.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-30/2023-24 में दिनांक-16.3.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बैसा	मिर्जापुर/42	134	872	01 डी.

दिनांक 03.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित उभय पक्ष की संयुक्त पारिवारिक जमीन है। तथा यह कि उक्त जमीन उनके दादा रहीमउद्दीन के नाम से दर्ज है। तथा प्रश्नगत जमीन उनके हिस्से एवं हक वाली जमीन है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन प्रधानमंत्री सड़क हेतु छोड़ा गया था, जिसके माध्यम से वे लोग आना-जाना करते थे। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा उक्त रास्ते की जमीन को अपना बताकर रास्ते को बाधित किया जा रहा है। जो सही नहीं है। अतः विपक्षी की ओर से प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी के अवैध कब्जे को हटाते हुए रास्ता बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन उभय पक्ष के दादा शेख रहीमउद्दीन के नाम से खतियान में दर्ज है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष के बीच वस्तुतः प्रश्नगत जमीन (1 डी.) पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा किये जाने के कारण विपक्षी का रास्ता बाधित होने से विवाद है। कागजातों में संदर्भित अंचल अधिकारी, बैसा के पत्रांक-981 दिनांक-06.11.2023 एवं जमीन मापी अभिलेख सं.-48/2024-25 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के अभिकथन एवं संगत तथ्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः इस प्रकार प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की

	19.2.2026	विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 19/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 19/2/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	